कार्यालय जिलाधिकारी, जौनपुर

(खनन अनुभाग)

पत्र संख्याः 1182/खनिज–ई–निविदा/2017–18 दिनांक 15 मई, 2017

ई–निविदा आमंत्रण हेतु निविदा प्रपत्र/सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–715/86–2017 –57(स)/2017 दिनांक 22.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार जनपद जौनपुर में नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू के निम्नलिखित क्षेत्रों (जिनके सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में याचिका विचाराधीन नहीं है।) को छः माह की अल्प अवधि के लिए ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है। विज्ञापित किये जाने वाले क्षेत्र के लिए दिनांक 19-05-17 से 26-05-17 तक सात कार्य दिवसों के मध्य ई–टेण्डर पोर्टल **http://etender.up.nic.in** पर ई–निविदा आमन्त्रित की जाती है। विज्ञापित किये जाने वाले क्षेत्रों तथा ई–निविदा से सम्बन्धित अन्य शर्तें एवं ई–निविदा के आवेदन का प्रारूप निम्नलिखित है :–

क्षेत्रों का विवरण

क्रम सं0	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या / खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ मे)	सीमायें				खनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित खनिज का भण्डार (घन मी0 मे)
					उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शाहगंज	उदईपुरदीप	1001क व 1002क	1.235 एकड़	1001 क का शेष भाग	नदी का शेष भाग	नदी का शेष भाग	नदी का शेष भाग	साधारण बालू	10000घन मी0

2. खनन अनुज्ञा पत्र की अवधि 06 माह होगी जिसमें मानसून सत्र (दिनांक 01.07.2017से 30.09.2017) में खनन नहीं किया जायेगा। बाधित अवधि के कारण 06 माह की अधिकतम अवधि में कोई विस्तार भी अनुमन्य नहीं होगा।
3. कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है जिसमें निम्नलिखित बाते होंगी।

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक।

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान), ई–मेल एवं मोबाईल नम्बर।

घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है जिसमें निम्न हो

उपखनिज का नाम–

तहसील का नाम–

खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम–

गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या

क्षेत्रफल (एकड़ में)–

विज्ञाप्ति में दी गई खनन योग्य भण्डार की मात्रा।

ङ. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाईल नं0................

....

.... (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा–बोटर आई.डी./पासपोर्ट/ड्राइविंग

लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड)। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण।)

च. खनिज के प्रति घन मीटर के लिये दी जाने वाली दर, जो उस खनिज के लिये नियमावली–1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर 55.00 रू0 प्रति घन मीटर से कम नहीं होगी।

छ. खनन योग्य भण्डार की मात्रा (घन मीटर) को नियमावली–1963 की अनुसूची–1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसका 75 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का **बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी जौनपुर** के पक्ष में अग्रिम के रूप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करानी होगी। प्रत्यके क्षेत्र की ई–निविदा हेतु पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई–निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

ज. खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र।

झ. उस जिले के जिलाधिकारी, जहॉ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।

ञ. पैन कार्ड एवं फोटो युक्त पहचान पत्र।

4. ई–निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर अर्थात दिनांक 26/05/2017 तक ई–टेण्डर पोर्टल **http://etender.up.nic.in** पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जायेगी।

5. यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि0 लखनऊ को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई–टेण्डरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी :–

क. ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करना होगा।

ख. ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।

ग. विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

6. निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी :–

i. सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर लॉगिंग आई0डी0 (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।

ii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई–टेण्डर पोर्टल पर किया जाना होगा।

iii. निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेण्डर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Participate) करने हेतु क्लिक करना होगा।

iv. निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा सम्बन्धित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

v. निविदाकार द्वारा निविदा के समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा को ई–टेण्डर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर 3 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी कर पी0डी0एफ0 फाईल बनायी जानी होगी।

vi. ई–टेण्डर डाक्यूमेंटस की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पी0डी0एफ0 फाईल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे ऑफ लाईन" (Pay Off line) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेन्ट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री–सबमिट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।

vii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा अग्रिम धनराशि से सम्बन्धित कालम में बैंक ड्राफ्ट की धनराशि, बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियॉ भरने के बाद उसको सेव (Save) कर लिया जायेगा।

viii. निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि अग्रिम धनराशि को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से सम्बन्धित कार्य पूर्ण माने जायेंगें।

ix. यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई वित्तीय बिड में कोई त्रटिं है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई विड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः ई–निविदा पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुये रि–बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते हैं। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बारं प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bid) ही ई–टेण्डर पोर्टल 'पर अनुमन्य' होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमन्य नहीं होगी।

7. विज्ञप्ति के अनुसार सात कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा।

8. बिन्दु संख्या–3 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक 27-05-17 अप0 02:00 बजे के पूर्व जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, क्षेत्र का क्रमांक अंकित करना होगा।

9. क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घन.मी0 के लिए दी जाने वाली <u>सर्वोच्च दर</u> के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के खनन अनुज्ञा पत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन अनुज्ञा पत्र हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

10. जिलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

11. ई–टेण्डर साईट का उपयोग करने के लिए Pentium-IV अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्रॉड बैन्ड इण्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। इसके लिए इण्टरनेट केन्द्र की सेवायें ली जा सकती है।

12 जिला स्तर पर ई–टेण्डरिंग से सम्बन्धित टेण्डर्स अपलोड किये जाने, टेण्डर्स खोले जाने इत्यादि कार्यों हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 10 अशोक मार्ग, लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

13. खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।